[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 16/2018 – केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2018

सा.का.नि.............(अ).- आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसमें पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	**मास**	**प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	अप्रैल, 2018	20 मई, 2018
2.	मई, 2018	20 जून, 2018
3.	जून, 2018	20 जुलाई, 2018

2. **प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय : प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाउल्लिखित अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, यथास्थिति, इलैक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार